राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बजट वर्ष 2010–11

बजट वर्ष 2010–11 के मुख्य बिन्दु

- चालू वित्तीय वर्ष हेतु योजना आयोग द्वारा 17322 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई थी। राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमानों में योजनागत व्यय को 18561 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। आगामी वर्ष के लिए योजनागत व्यय 23822 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह योजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है एवं योजना आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 के लिये अनुमोदित योजना के आकार से 37 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2010–11 हेतु बजट का आकार 54348 करोड़ रूपये है, जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 8.32 प्रतिशत अधिक है।
- आगामी वर्ष के बजट में 48 करोड़ रुपये का बजट अधिशेष अनुमानित।
- आगामी वर्ष के बजट में कुल राजस्व आय 42463 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है, जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14 प्रतिशत अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व 16663 करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वर्ष के बजट में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 19021 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14 प्रतिशत अधिक है।
- बजट अनुमान 2010–11 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 7.87 प्रतिशत है।
- राज्य द्वारा लिये गये ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 7427 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज भुगतान, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 17.49 प्रतिशत है।
- वर्ष 2010–11 के बजट में राज्य का राजस्व घाटा 1098 करोड़ रूपये एवं राजकोषीय घाटा 8461 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों में राज्य का राजस्व घाटा 3993 करोड़ रुपये है, इस प्रकार वर्ष 2010–11 में राजस्व घाटे में 2895 करोड़ रुपये की कमी संभावित है। राज्य का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2009–10 में जीएसडीपी का 4.50 प्रतिशत है जो आगामी वर्ष घटकर 3.50 प्रतिशत रहना अनुमानित है।
- तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2011–12 में राजस्व घाटा समाप्त करने एवं राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान अनुमानों को देखते हुए राज्य यह लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।
- बजट अनुमान 2010–11 में पूँजीगत परिव्यय 7433 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 1907 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2010–11 का पूंजीगत परिव्यय जीएसडीपी का 3.07 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 2.51 प्रतिशत संभावित है।
- वर्ष 2010–11 के बजट में योजना मद के अन्तर्गत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये वार्षिक योजना की 27 प्रतिशत राशि प्रावधित की गई है।

- चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यद्यपि राजकोषीय घाटे में परिवर्तित बजट की तुलना में वृद्धि हुई हैं किंतु इसके बावजूद राज्य सरकार ऋणों की स्वीकृत सीमा से 550 करोड़ रुपये का कम ऋण ले रही है। बढ़े हुए राजकोषीय घाटे की पूर्ति उपलब्ध संसाधनों से ही की गई है।

बजट घोषणायें

- सुशासन एवं जवाबदेह प्रशासन हेतु प्रभावी कदम, जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग का गठन, एवं महत्त्वपूर्ण पत्रावलियों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाना।
- आरएसआरडीसी, रिडकोर, वीजीएफ, सुओमोटो एवं नाबार्ड के सहयोग से लगभग 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण।
- ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान। चालू वर्ष में 945 मेगावाट, ग्यारहवीं योजना के अंत तक 1 हजार 860 मेगावाट, और बारहवीं योजना के अंत तक 10 हजार 260 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की योजना।
- नई सौर ऊर्जा नीति।
- जल संसाधन हेतु आगामी वर्ष 777.58 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पेयजल हेतु वर्ष 2010–11 में योजना मद में 1231 करोड़ रुपये एवं सीएसएस में 284 करोड़ रुपये का प्रावधान। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपये और।
- मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशनर को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।
- 150 अतिरिक्त "108 एंबूलेंस"
- सीएचसी तथा जिला अस्पतालों में 750 शय्याओं की वृद्धि।
- सभी जिला अस्पतालों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले सीएचसी में ट्रोमा इकाइयां।
- चित्तौड़गढ़ में जनरल नर्सिंग कॉलेज।
- नया यूनानी निदेशालय।
- चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में 1000 शय्याओं की वृद्धि।
- नई निःशक्तजन नीति।
- वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन की दरों में बढ़ोतरी, 75 वर्ष से कम आयु के लिए 500 रुपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए 750 रुपये।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की क्षमता में वृद्धि एवं 11 तहसील मुख्यालयों पर नये छात्रावासों का निर्माण।
- निःशक्त बालक, बालिकाओं के निजी विद्यालयों को अनुदान हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तरमैट्रिक स्कॉलरशिप एवं आरएएस तथा आईएएस की तैयारी हेतु विशेष अनुदान।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विशेष पैकेज, मदरसों में 1000 शिक्षा सहयोगी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर हेतु 2 करोड़ रुपये।
- अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु जयपुर में नया छात्रावास।
- काथोडी समुदाय के परिवारों हेतु 200 पक्के आवास।
- आदिवासी कृषक परिवारों हेतु उद्यानिकी विकास के लिये 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान, 38 हजार परिवारों को लाभांवित करने का लक्ष्य।
- जनजाति परिवारों के पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के लिये 3 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- अनुसूचित जन जाति के परिवारों के पलायन को रोकने के लिये 3 करोड़ रुपये की योजना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋणों पर देय ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- सभी जिला मुख्यालयों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र।
- ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि।
- राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन प्रस्तावित।
- मिड–डे मील कार्यक्रम के तहत खाना पकाने के लिये 1000 रुपये मानदेय पर रसोईयों की व्यवस्था।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सभी जिलों में विस्तार।
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को 797 करोड़ रुपये की इनपुट सबसिडी।
- चारा पैदा करने के लिये मिनीकिट्स का वितरण।
- फसली ऋण हेतु 5000 करोड़ रुपये, 21 लाख किसानों को लाभांवित करने का लक्ष्य।
- डी.ए.पी. एवं यूरिया का अग्रिम भंडारण।
- पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- उदयपुर में नया फिशरीज़ कॉलेज।
- राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत थोक विक्रेताओं का कमीशन 5 रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति क्विन्टल एवं खुदरा विक्रेताओं का कमीशन 8 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति क्विन्टल।
- बी.पी.एल. परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो अनाज।
- राज्य के प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर आई.टी.आई. की स्थापना।

- जिले में कक्षा आठ, दस व बारह में प्रथम आने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं निःशक्त बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार।
- दसवीं बोर्ड में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को विदेश में शिक्षा की सुविधा।
- अजमेर में पृथक राजकीय कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना।
- ई–सचिवालय की क्रियान्विति प्रारंभ।
- आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने के लिये नया राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एक्ट
- आर.एस.एम.एम.एल. की 10 प्रतिशत हिस्सा पूँजी का विनिवेश।
- वैध खनन के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिये विशेष प्रयास, यातायात विभाग का सुदृढ़ीकरण।
- राज्य शहरीकरण आयोग का गठन।
- 400 करोड़ रुपये के राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड की स्थापना।
- नगरीय विकास कर, क्षेत्रफल के आधार पर एवं सेल्फ असेसमेंट की सुविधा।
- मेलों एवं अन्य आयोजनों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हेतु मेला ओथरीटी का गठन।
- जयपुर तथा जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली।
- स्टेट डिज़ास्टर रेस्पोन्स फोर्स का गठन।
- उच्च न्यायालय एवं ज्यूडिशियल एकेडमी के जोधपुर में नये भवनों का निर्माण।
- जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर में रेंट ट्रीब्यूनल एवं अपीलीय रेंट ट्रीब्यूनल।
- प्रदेश में 7 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना।
- उपनिवेशन क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2010 तक बकाया ऋण की किश्तें चुकाने पर ब्याज माफी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पेंशन 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये।
- अलवर में नया कलक्ट्रेट भवन।
- स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन 8,000 रुपये बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह।
- समाचार पत्रों की विज्ञापन दरों में संशोधन।
- वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निराकरण समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही।

बजट 2010 –11 के मुख्य बिन्दु – कर प्रस्ताव

गत वर्ष के बजट में उद्योग एवं व्यापारी वर्ग में विश्वास व्यक्त करते हुए उडनदस्तों को समाप्त कर दिया गया था। इस दिशा में अब और आगे बढ़ते हुए इस बजट में प्रक्रिया के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों में कम से कम जाना पड़े और उन्हें सम्मानपूर्वक कर जमा कराने में कोई परेशानी न हों, इस हेतु विशेष प्रावधान किये गये है ।

प्रक्रिया का सरलीकरण

- तिमाही रिटर्न का व्यापक सरलीकरण । संलग्न होने वाले 9 में से 6 दस्तावेज हटाये।
- ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अथवा कम्पोजिशन स्कीम लेने वाले व्यापारियों को वार्षिक विवरणी (वैट–10ए) से मुक्ति। लगभग 70000 व्यापारियों को राहत।
- वैट–47, अब 8 और वस्तुओं–गुड़, माचिस, सीमेण्ट से बने सभी सामान, पटाखे, अखाद्य तेल, बिनोला, फोटोग्राफी का सामान, ओडियो और विडियो कैसेट्स–पर लागू नहीं होगा।
- छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए अनिवार्य पंजीयन की सीमा 5 लाख वार्षिक टर्नओवर से बढ़ाकर 10 लाख रुपये। लगभग 11000 व्यापारियों को पंजीयन दायित्व से मुक्ति ।
- व्यवहारी द्वारा दायर प्रथम अपील का निर्णय एक वर्ष की अवधि में । अपील दायर करने के लिए अब केवल विवादित कर राशि का 10 प्रतिशत तक जमा कराना होगा।
- ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 जनवरी ।
- तिमाही रिटर्न जमा कराने में देरी होने के बावजूद व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न अथवा ऑडिट रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने पर उसका सैल्फ असैसमेंट किया जायेगा।

- 20 हजार रुपये या इससे कम कर दायित्व वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न से छूट। केवल वार्षिक रिटर्न ही जमा करानी होगी। लगभग 20000 व्यापारियों को लाभ ।
- व्यापारी द्वारा बैंक गारंटी उपलब्ध कराने पर आईटीसी रिफण्ड का तुरंत प्रोविजनल भुगतान ।
- ई–रिटर्न फाईल करने वाले व्यापारी, जिन्होंने गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत कर अधिक जमा कराया है, उन्हें पिछले वर्ष में दिये गये **ITC** रिफण्ड की 50 प्रतिशत तक राशि का प्रोविजनल रिफण्ड ।
- **ITC** के सत्यापन के अभाव में कायम मांग की वसूली नहीं की जायेगी।
- कम्प्यूटरीकृत **(CBS)** बैंक में खाते धारक व्यापारियों को रिफण्ड सीधे ही उनके खाते में जमा ।
- वर्ष 2006–07 में समय पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण लगाई गयी पैनल्टी समाप्त की जायेगी ।
- माल खरीदने वाले सरकारी विभाग, उपक्रम आदि वैट सीधे ही राजकोष में जमा करायेंगे।
- ई–रिटर्न फाईल करने वाले व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए 15 दिन अधिक ।

<u>कर की दरों में राहत :</u>

- बैट्री संचालित मोटर वाहन, सौर ऊर्जा उपकरणों, मेहंदी के कोन, **Beehive, Bee-colony, Bee-box** एवं रूद्राक्ष कर मुक्त ।
- छात्रों के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह तक की मैस सुविधा कर मुक्त।
- अधिकतम 50 रुपये तक टिकिट वाले सिनेमा हॉल मनोरंजन कर से मुक्त। सिनेमा की रील पर लगने वाले कर से छूट।
- पानी सप्लाई करने वाले वाटर टैंकर्स, सीएफएल बल्ब, मार्बल पाऊडर, चिप्स व करेजी, सफेदा व अडूसा की लकड़ी, दो हॉर्स पावर से अधिक क्षमता की आटा चक्कियों पर वैट घटाकर 5 प्रतिशत ।
- सभी प्रकार की दलहनों पर कर दर 1 प्रतिशत रहेगी।

- कोटा स्टोन पर वजन आधारित टैक्स को हटाकर मूल्य आधारित 5 प्रतिशत वैट ।
- तीन सितारा से कम स्तर एवं अवर्गीकृत होटल एवं रेस्टोरेंट्स के लिए भोजन पर टैक्स दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत ।
- लम्बे समय से भीलवाड़ा के कपड़ा व्यापारियों की दो बार प्रवेश कर की समस्या का हल–दूसरी बार कायम की गई मांग माफ ।
- जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथपत्र **(Affidavit)** स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के भीतर, सदस्यों द्वारा ऋण लेने के लिए किये गये **inter-se agreement** स्टाम्प शुल्क से मुक्त।
- पावर प्लाण्ट के लिए भूमि क्रय के दस्तावेज मुद्रांक शुल्क से मुक्त ।
- गैर–कृषि ऋण लेने के लिए टाईटल डीड जमा करने अथवा रहन रखने के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत ।
- फैमिली सैटलमेंट के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत।
- **Revocable** पावर ऑफ अटार्नी को भी अनिवार्यतः पंजीयन और इसके दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से घटाकर 0.2 प्रतिशत की जायेगी।
- मकराना मार्बल पर रॉयल्टी 325 रुपये से घटाकर 300 रुपये प्रति टन ।
- मार्बल स्लरी/पाऊडर रॉयल्टी से मुक्त।

<u>अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कर दर संबंधी प्रस्ताव :</u>

- **Lower Tax Rate** 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत।
- 50 लाख रुपये टर्नओवर वाली कम्पोजिशन स्कीम के व्यापारियों के लिए कर दर बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत।
- कोलतार, बिटुमैन, लाईमस्टोन, जैनरेटर एवं इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल बॉडी, पी.बी.एक्स., इलैक्ट्रोड्स, ब्राण्डेड रेडीमेड गारमेण्ट्स, मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज, यू–फोम, कुछ कैमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स पर वैट 14 प्रतिशत ।

- कॉटन सीड ऑयल केक एवं सब्बल **(Crowbar)** पर 5 प्रतिशत वैट लागू।
- ऑल इण्डिया परमिट वाले बन्द यात्री वाहनों पर कर की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 35000/– प्रति माह ।
- विशिष्ट श्रेणी के गैर–परिवहन यानों पर कर की अधिकतम सीमा राशि के प्रतिबंध को हटाया गया।
- 100 सीसी के दुपहिया वाहनों पर एकबारीय कर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत परन्तु 100 सीसी से अधिक कैपेसिटी होने पर कर बढ़ाकर 8 प्रतिशत।
- चार पहिया वाहनों पर एकबारीय कर का सरलीकरण–6 स्लैब के स्थान पर केवल 4 स्लैब–2.5 लाख रुपये तक की गाड़ी पर टैक्स 4 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत परन्तु तीन **higher slabs** 2.5–6.00 लाख पर 5 प्रतिशत, 6–10 लाख पर 8 प्रतिशत एवं 10 लाख से अधिक पर 10 प्रतिशत एक बारीय कर।
- प्रति माह 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट शहरी उपकर लगाया जायेगा। इसका उपयोग नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण व सार्वजनिक रोशनी, सफाई, सीवरेज, सड़कों की मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए किया जायेगा।
- दूरसंचार मोबाईल टावर्स का अनिवार्यतः पंजीकरण एवं पंजीकरण राशि के साथ–साथ वार्षिक यूजर चार्जेज प्रभारित किया जायेगा।

उपरोक्त कर राहत व अतिरिक्त राजस्व प्रस्तावों से वर्ष 2010–11 में राज्य को अनुमानतः 550 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।